

राजस्थान सरकार

अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति एव, अस्वच्छ छात्रवृत्ति

आवेदन-पत्र

(नवीन(फ्रेस) छात्रवृत्ति हेतु सन्.....)

01. छात्र/छात्रा का नाम.....
02. जाति.....उपजाति.....
03. पिता का नाम व व्यवसाय.....
04. परिवार की कुल वार्षिक आय.....
05. प्रार्थी का निवास स्थान.....ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील.....
06. वर्तमान स्कूल का विवरण जहां छात्र/छात्रा पढ रहा/रही हैं।
(अ) शाला का नाम.....स्थान.....
(ब) पोस्ट ऑफिस.....तहसील.....जिला.....
07. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा पढ रहा/रही हैं।
08. वर्तमान स्कूल में प्रवेश तिथि.....
09. पिछले वर्ष की शाला का नाम जिसमें छात्र/छात्रा कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है:- 8 स्कूल का नाम.....स्थान.....पोस्ट ऑफिस.....
10. कक्षा जिसमें छात्र/छात्रा गत वर्ष उत्तीर्ण हुआ है.....
11. परीक्षा फल.....उत्तीर्ण..... अनुत्तीर्ण.....

गत परीक्षा में अंको का विवरण

क्र.स.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	क्र.स.	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक

कक्षा में स्थान.....श्रेणी.....योग

प्राप्तांक.....

12. क्या राजस्थान सरकार की इस छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था या सरकारी विभाग से कोई सहायता मिलती है यदि हों तो:-

(अ) कहाँ से मिलती है.....(ब) कितनी मिलती

है.....

(स) दर.....(द) मासिक,त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक व एक
मुश्त.....

हस्ताक्षर छात्र/छात्रा

(2)

शाला के प्रधानाध्यापक का प्रमाण-पत्र

01. मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण सही है।
02. स्कूल सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त है।
03. छात्र/छात्रा समाज कल्याण विभाग या इस विभाग से अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रहता है/रहती है।

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
(मोहर सहित)

संबंधित सरपंच,पंच अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी का प्रमाण पत्र :

- 01-मैं प्रमाणित करता हूँ की छात्र/छात्रा की जाति है जो अनुसूचित जाति/अन्य पिछडी जाति/ विमुक्त जाति / धुमक्कड़ जाति की गणना में आती है ।
- 02- इनके परिवार की वार्षिक आयहै।

हस्ताक्षर
पद(मय सील सहित)

उक्त छात्र/छात्रा को रूपया प्रतिमाह के हिसाब से
माह..... से तक की छात्रवृत्ति के
कुल..... रूपये स्वीकृत किये जाते है।

हस्ताक्षर स्वीकृतिधिकार
पद(मय सील सहित)

.....
.....

नोट:- जाति के कॉलम नं. 2 में केवल हरिजन, आदिवासी, विमुक्त जाति व धुमक्कड़ जाति लिखना काफी नहीं है । उप जाति जैसे मेहतर, चमार, भील, मीणा, कंजर, साँसी आदि लिखना अत्यन्त आवश्यक है। केवल हरिजन, आदिवासी, विमुक्त जाति, अन्य पिछड़ी जाति अथवा धुमक्कड़ जाति ही लिखने से फार्म अस्वीकृत कर दिया जावेगा।